

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(17)एमई/गुप.1/2012

जयपुर, दिनांक

“आदेश”

12 FEB 2013

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अंतर्गत गठित स्कीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर न्यूरो सर्जरी विशिष्टता के निम्नांकित शिक्षक चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य / आचार्य / सह आचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नति पर प्राप्त पद	पदोन्नति तिथि
1.	डा० आर० एस० मित्तल	आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	1.4.2011
2.	डा० एच० आर० बगडिया	सेवानिवृत्त आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य (सेवा निवृत्त)	1.4.2011
3.	डा० वी०डी०सिन्हा	आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	13.1.2013
4.	डा० नेमी चन्द पूनिया	सह आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	आचार्य, मेडि. कालेज, जयपुर	1.4.2011
5.	डा० अचल शर्मा	सह आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	आचार्य, मेडि. कालेज, जयपुर	1.4.2011
6.	डा० पंकज गुप्ता	सह आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	10.10.2012
7.	डा० मनीष अग्रवाल	सहायक आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	सह आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	1.7.2012
8.	डा० संजीव चौपड़ा	सहायक आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	सह आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	19.7.2012

आज्ञा से,

४५

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. अतिरिक्त सचिव, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर।
5. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य।
6. रक्षित पत्रावली।

  
सहायक शासन सचिव